

जिला परिषद बिलासपुर में अनुबन्ध पंचायत सहायकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापनः—

जिला परिषद बिलासपुर द्वारा पंचायत सहायक की श्रेणी के नए सूजित 18 पदों को अनुबन्ध आधार पर निम्न संभावित संर्वगों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना प्रस्तावित हैः—

अनुसूचित जाति	3
अनुसूचित जन जाति	1
अन्य पिछड़ा वर्ग	2
अन्य पिछड़ा वर्ग(बी0पी0एल0)	1
अनारक्षित	7
अनारक्षित(बी0पी0एल0)	2
कुलः—	16

अनुसूचित जाति (भूतपूर्वक सैनिक)	1	भूतपूर्वक सैनिकों के लिए आरक्षित
अनारक्षित (भूतपूर्वक सैनिक)	1	2 पद भूतपूर्वक सैनिक सैल
कुलः—	2	हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे।

अनुबन्ध पंचायत सहायकों के पदों पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार पात्रता शर्तें निम्न प्रकार से होंगीः—

1. नियुक्त अनुबन्ध पंचायत सहायक को ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय—2 पर अधिसूचित किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी की आयु 1.1.2014 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परन्तु यह कि, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिंप्र० सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।
3. अभ्यर्थी हिमाचल का वास्तिवक(Bonafied) निवासी होना चाहिए परन्तु जिले के वास्तिवक(Bonafied) निवासी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
4. अभ्यर्थी स्वस्थचित व अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए निरर्हित(Disqualified) न किया गया हो या उसे अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से पदच्युत न किया गया हो।
6. उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वर्लित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।
7. उसका राज्य सरकार या पंचायतों का कोई बकाया संदेय न हो।
8. पंचायत सहायक की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय से न्यूनतम 10+2 की शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण की हो।
9. अभ्यर्थी संविदा (Contract) के आधार पर आरम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर सेवा और आचारण सन्तोषजनक रहने पर बढ़ाया जा सकेगा।
10. चयनित अभ्यर्थी जिला परिषद का कर्मचारी होगा तथा उसे जिला की किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

11. चयनित व्यक्ति को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा।
12. संविदा (Contract) पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं पूर्णतयः अस्थायी आधार पर होगी।
13. नियुक्त अभ्यर्थी पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 लागू होंगे।
14. अनुबन्ध पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का चयन निम्न 100 अंकों में से पात्रता के आधार पर किया जायेगा:

(क) शैक्षणिक अर्हताएः:

(1)	10+2 में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को 1.66 द्वारा विभाजित करके।	अधिकतम 60 अंकों तक
-----	--	--------------------

(ख) अनुभवः

(1)	किसी पंचायती राज संस्थान/सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/संस्था/अभिकरण (ऐजेन्सी) में कार्य करने के प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक प्रदान किया जायेगा।	अधिकतम 5 अंकों तक
(2)	यदि अभ्यर्थी संबद्ध जिला परिषद क्षेत्र का निवासी है।	5 अंक
(3)	(क) यदि अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्यूटर में न्यूनतम छः मास का डिप्लोमा किया हो।	9 अंक
	(ख) यदि अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्यूटर में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा किया हो	15 अंक
(ग)	निजी साक्षात्कारः	15 अंक

उक्त तालिका के (क) तथा (ख) में उपबन्धित अंकों के मापदण्ड के आधार पर निश्चित अवधि के भीतर आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर सचिव जिला परिषद द्वारा योग्यता सूची तैयार की जायेगी और वरियता/पात्रता के आधार पर एक पद के प्रति अधिकतम 10 व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। जिसकी सूचना आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दी जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार पत्र प्रेषित किये जाएंगे। साक्षात्कार हेतु बुलाए गये अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आवेदन पत्र निम्न प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों सहित सचिव, जिला परिषद बिलासपुर, के कार्यालय में हर माघ्यम से दिनांक 12.9.2014 सांय 5 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी माघ्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को विचारा नहीं जायेगा। आवेदन प्रपत्र जिला परिषद कार्यालय बिलासपुर तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


 सचिव जिला परिषद,
 बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हिं0प्र0)।

अनुबन्ध पंचायत सहायक के पद को भरने हेतु प्रकाशित विज्ञाप्ति
दिनांक..... के आधार पर आवेदन पत्रः—

कार्यालय प्रयोग हेतु

पावती संख्या:

दिनांक:

यहाँ पर फोटो
चिपकाएं

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. स्थायी निवासिय पता(Bonafied Certificate)सहित :
4. पत्राचार हेतु पता दूरभाष नं० सहित :
5. जन्म तिथि(दसवीं कक्षा प्रमाण पत्र)
6. दिनांक 1.1.2014 को आयु :
7. आवेदन किस सर्वंग के पद हेतु किया जा रहा है
(अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/
बीपीएल) :
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

शैक्षणिक योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड का नाम	प्राप्त अंक	कुल अंक	अंक प्रतिशतता
10+2				

9. अनुभव:

किसी पंचायती राज संस्थान/सरकारी कार्यालय/ सरकारी उपक्रम/संस्था/अभिकरण (ऐजेन्सी) में कार्य करने का अनुभव	संस्था का नाम जिसमें कार्य किया है	अनुभव अवधि (मास/वर्षों में)

10. कम्प्यूटर प्रशिक्षण में योग्यता:

कम्प्यूटर प्रशिक्षण में योग्यता	डिप्लोमा अवधि		संस्थान का नाम जहाँ से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है	क्या संस्थान हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है
	मास	वर्ष		

11. रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या

12. प्रार्थी के पास सरकार अथवा पंचायत की कोई धनराशी बकाया न हो। सम्बन्धित पंचायत सचिव का प्रमाणपत्र साथ लगाया जाये।

आवश्यक नोट:

(आवेदन प्रारूप के क्रमांक 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 में अंकित जानकारी/शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इन मदों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न न करने की अवस्था में सम्बन्धित अभ्यर्थी को बांधित योग्यता अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे)

प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर व अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध पंचायत सहायकों के पदों पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार पात्रता शर्तें

निम्न प्रकार से होंगी:-

1. नियुक्त अनुबन्ध पंचायत सहायक को ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर अधिसूचित किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी की आयु 1.1.2014 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परन्तु यह कि, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य प्रवर्गों के व्यवितयों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिंप्र० सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।
3. अभ्यर्थी हिमाचल का वासित्वक(Bonafied) निवासी होना चाहिए परन्तु जिले के वासित्वक(Bonafied) निवासी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
4. अभ्यर्थी स्वस्थचित व अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए निरर्हित(Disqualified) न किया गया हो या उसे अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से पदच्युत न किया गया हो।
6. अभ्यर्थी नैतिक अधमता से अन्तवर्लित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।
7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार या पंचायतों का कोई बकाया संदेश न हो।
8. पंचायत सहायक की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय से न्यूनतम 10+2 की शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण की हो।
9. अभ्यर्थी संविदा (Contract) के आधार पर आरम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर सेवा और आचारण सन्तोषजनक रहने पर बढ़ाया जा सकेगा।
10. चयनित अभ्यर्थी जिला परिषद का कर्मचारी होगा तथा उसे जिला की किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।
11. चयनित व्यक्ति को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा।
12. संविदा (Contract) पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं पूर्णतयः अस्थायी आधार पर होंगी।
13. नियुक्त अभ्यर्थी पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 लागू होंगे।
14. अनुबन्ध पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का चयन निम्न 100 अंकों में से पात्रता के आधार पर किया जायेगा।

(क) शैक्षणिक अर्हताएः:

(1)	10+2 में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को 1.66 द्वारा विभाजित करके।	अधिकतम 60 अंकों तक
-----	--	--------------------

(ख) अनुभवः

(1)	किसी पंचायती राज संस्थान/सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/संस्था/अभिकरण (ऐजेन्सी) में कार्य करने के प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक प्रदान किया जायेगा।	अधिकतम 5 अंकों तक
(2)	यदि अभ्यर्थी संबद्ध जिला परिषद क्षेत्र का निवासी है।	5 अंक
(3)	(क) यदि अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्यूटर में न्यूनतम ७: मास का डिलोमा किया हो।	9 अंक
	(ख) यदि अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्यूटर में न्यूनतम १५ अंक एक वर्ष का डिलोमा किया हो	15 अंक
(ग)	निजी साक्षात्कारः	15 अंक

उक्त तालिका के (क) तथा (ख) में उपबन्धित अंकों के मापदण्ड के आधार पर निश्चित अवधि के भीतर आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर सचिव जिला परिषद द्वारा योग्यता सूची तैयार की जायेगी और वरियता/पात्रता के आधार पर एक पद के प्रति अधिकतम 10 व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। जिसकी सूचना आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दी जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार पत्र प्रेषित किये जाएंगे। साक्षात्कार हेतु बुलाए गये अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आवेदन पत्र निम्न प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों सहित सचिव, जिला परिषद बिलासपुर, के कार्यालय में हर माघ्यम से दिनांक 12.9.2014 सांय 5 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी माघ्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को विचारा नहीं जायेगा। आवेदन प्रपत्र जिला परिषद कार्यालय बिलासपुर तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
